प्रेषक,

निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड
ननूरखेड़ा, तपोवन मार्ग,
देहरादून।

सेवा में

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा
उत्तराखण्ड।

पत्रांक :– प्रा0शि0–सेवा(2)/ 33903/शिक्षा मित्र समा0–VI/013–14 दिनांक : 04 मार्च 2014

विषय :– दो वर्षीय बी0टी0सी0 उत्तीर्ण एवं अध्यापक पात्रता परीक्षा मुक्त शिक्षा मित्रों का सहायक अध्यापक प्राथमिक (वेतन बैण्ड–2 वेतनमान 9300–34800, ग्रेड वेतन–4200) के पदों पर पदस्थापन/समायोजन।

महोदय,

शासनादेश संख्या–.336/XXIV(1)/2014–45/2008 TC III दिनांक 04 मार्च, 2014 द्वारा राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में संविदा पर कार्यरत एवं दो वर्षीय बी0टी0सी0 उत्तीर्ण शिक्षा मित्र, जिन्हें राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के पत्र संख्या F. 62-4/2011 /NCTE /N&S/A83026 दिनांक 17 फरवरी, 2014 द्वारा अध्यापक पात्रता परीक्षा से मुक्त किया गया है, को सहायक अध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्यालय के पद पर पदस्थापित/समायोजित करने हेतु निम्नवत् निर्देशित किया जाता है:–

1. केवल उन्हीं शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक प्राथमिक के पद पर पदस्थापित/समायोजित किया जाय, जिन्होंने राज्य के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान/जिला संसाधन केन्द्रों से दो वर्षीय बी0टी0सी0 उत्तीर्ण की है एवं अद्यतन विद्यालयों में कार्यरत हैं।
2. इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि यदि विद्यालय में सहायक अध्यापक प्राथमिक (वेतनमान 9300–34800 ग्रेड वेतन 4200) का पद सृजित है एवं शिक्षा मित्र उस पद के प्रति संविदा पर कार्य कर रहा है अथवा विद्यालय में सहायक अध्यापक प्राथमिक (वेतनमान 9300–34800 ग्रेड वेतन 4200) का पद स्पष्टतः रिक्त है, तो ऐसी दशा में उपरोक्त अर्हताधारी शिक्षा मित्र को उसी विद्यालय में सहायक अध्यापक प्राथमिक (वेतनमान 9300–34800 ग्रेड वेतन 4200) के पद के प्रति पदस्थापित/समायोजित कर लिया जाये। यदि विद्यालय में सहायक अध्यापक प्राथमिक (वेतनमान 9300–34800 ग्रेड वेतन 4200) का पद रिक्त न हो तो उस दशा में उसी विकासखण्ड में ऐसे विद्यालय में जहां सहायक अध्यापक प्राथमिक (वेतनमान 9300–34800 ग्रेड वेतन 4200) का पद रिक्त हो, के प्रति पदस्थापित/समायोजित किया जाय।
3. यदि उस विकासखण्ड में भी जहां शिक्षा मित्र कार्यरत है, सहायक अध्यापक प्राथमिक (वेतनमान 9300–34800 ग्रेड वेतन 4200) का पद रिक्त न हो तो प्रथमतः निकटस्थ विकासखण्ड एवं तदुपरान्त जनपद में जिस विद्यालय में भी रिक्ति उपलब्ध हो, पदस्थापित/समायोजित किया जायेगा, परन्तु ऐसी दशा में जहां कार्यरत विकासखण्ड से बाहर पदस्थापना किया जाना है तो सम्बन्धित शिक्षा मित्र से वरिष्ठता क्रम में

विकासखण्डों का विकल्प अवश्य प्राप्त कर लिया जाय और तदानुसार ही रिक्ति उपलब्ध होने पर समायोजन/पदस्थापन किया जाय।

4. इस हेतु उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली–2012 के बिन्दु 16 में गठित चयन समिति द्वारा शैक्षिक एवं प्रशिक्षण प्रमाण पत्रों का सत्यापन/जॉच के उपरान्त ही पदस्थापन/समायोजन किया जायेगा।
5. पदस्थापन/समायोजन आदेश निर्गत होने की तिथि से ऐसे शिक्षा मित्र उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली–2012 एवं यथा संशोधित सेवा नियमावलियों से आच्छादित होंगे एवं तदनुरूप इनकी सेवा शर्ते, ज्येष्ठता का निर्धारण होगा।
6. शिक्षा मित्र का जिस विकासखण्ड में पदस्थापन/समायोजन होगा, वही उसका सेवा संवर्ग घोषित होगा।
7. समायोजन/पदस्थापन आदेश में उपरोक्त अर्हताधारी शिक्षा मित्रों के नाम संविदा पर प्रथम नियुक्ति तिथि की वरिष्ठता के अनुसार अंकित किये जायेगे।
8. कार्यरत विद्यालय में सहायक अध्यापक प्राथमिक की रिक्तिं उपलब्ध न होने पर यदि विद्यालय अथवा विकासखण्ड परिवर्तन अपरिहार्य हो तो केवल दुर्गम/अतिदुर्गम विद्यालयों में ही समायोजन/पदस्थापन किया जाय।
9. प्रत्येक सक्षम अधिकारी द्वारा समायोजन/पदस्थापना आदेश निर्गत करने हेतु पत्र का प्रारूप संलग्न है।

संलग्न–उक्तवत्।

भवदीय

(राकेश कुमार कुंवर) 3.2014

निदेशक

प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय

उत्तराखण्ड, देहरादून।

पृ०सं०: प्रा०शि०–सेवा(2)/33903 /शिक्षा मित्र समा०–VI/013–14 दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, विद्यालयी शिक्षा, शिक्षा अनुभाग–1 (बेसिक) उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. अपर सचिव, बेसिक शिक्षा उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल पौड़ी/कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
5. मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।

(राकेश कुमार कुंवर) 3.2014

निदेशक

प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय

उत्तराखण्ड, देहरादून।

कार्यालय : ....

आदेश संख्या :– / /शिक्षा मित्र समायोजन /2013–14 दिनांक.......................मार्च, 2014

समायोजन/पदस्थापन आदेश

शासनादेश संख्या–................................../XXIV(1)/2014 .... दिनांक .... मार्च, 2014 के अनुपालन में राजकीय प्राथमिक विद्यालय में संविदा पर कार्यरत एवं दो वर्षीय बी0टी0सी0 प्रशिक्षण उत्तीर्ण शिक्षा मित्रों को, जिन्हें राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के पत्र संख्या F: 62-4/2011/NCTE/N&S/A83026 दिनांक 17 फरवरी, 2014 द्वारा अध्यापक पात्रता परीक्षा के मुक्त किया गया है, उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ–07 में अंकित विद्यालय में सहायक अध्यापक प्राथमिक वेतन बैण्ड–2 वेतनमान 9300–34800 ग्रेड वेतन 4200 के पद पर इस आदेश के निर्गत होने की तिथि से समायोजित/पदस्थापित किया जाता है।

सहायक अध्यापक प्राथमिक के पद पर समायोजन/पदस्थापन के पश्चात ऐसे शिक्षा मित्रों की सेवायें उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली–2012 एवं यथा संशोधित नियमावलियों से आच्छादित होगी एवं तद्नुरूप ज्येष्ठता तथा संवर्ग का निर्धारण किया जायेगा।

क्र. सं.	नाम	पिता का नाम	जाति	जन्मतिथि	संविदा पर प्रथम नियुक्ति तिथि	कार्यरत विद्यालय	समायोजित विद्यालय	सेवा संवर्ग हेतु आवंटित विकासखण्ड
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

ह०

सील